राष्ट्र हित! रेल हित!! कर्मचारी हित!!!

उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ
UTTAR MADHAYA RAILWAY KARMCHARI SANGH

INDIA 2023

श्रम ही आराधना सम्बद्ध - भारतीय मज़दूर संघ एवं भारतीय रेलवे मज़दूर संघ पं.सं. : 8627/98-99

कार्यालय : भारतीय मज़दूर संघ, 2 नवीन मार्केट, कानपुर

रूपम पाण्डेय
स. महामंत्री, यू.एम.आर.के.एस.
संयुक्त जिला मंत्री
भारतीय मज़दूर संघ, प्रयागराज
मो.-9651009999, 9506529999

पत्रांक :

दिनांक :

प्रति,

श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय— उत्तर मध्य रेलवे पर रेल एवं कर्मचारी हितों के लिये आवश्यक सुझाव।

महोदया जी,

तीर्थराज संगम की नगरी प्रयागराज में विश्व का प्रथम क्रमांक का संगठन भारतीय मजदूर संघ की इकाई उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (UMRKS) आपका हार्दिक अभिनन्दन करता है। UMRKS राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुये रेल हित एवं कर्मचारी हित की मूल भावना के अनुरूप उत्तर मध्य रेलवे पर रेल एवं कर्मचारियों के हितों में निम्नलिखित सुझावों/मांगो की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है—

1. न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करवाई जाये।
2. आठवे वेतन आयोग का गठन समय पर करवाया जाये जिससे प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाले वेतन एवं भत्ते पुनरीक्षित हो सकें।
3. कर मुक्त आय की सीमा 10 लाख की जाये एवं मानक कटौती में भी वृद्धि करके कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाये।
4. जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 15 वर्ष से अधिक एवं 20 वर्ष से कम है। उनको कम से कम सेवानिवृत्ति के उपरान्त 1 मानार्थ पास दिया जाये।
5. रेल कर्मचारियों के माता—पिता को मेडिकल सुविधा में शामिल किया जाये।
6. ट्रेनों में चलने वाले एसी मेकेनिक को आउट स्टेशनों पर रूकने के लिए रहने की व्यवस्था तथा खान—पान की व्यवस्था प्रदान की जाये।
7. SE(IT) को RBE No. 155/2022, अपग्रेडेशन में शामिल किया जाये अथवा लेखा विभाग के परिशिष्ट 2A/3A परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाये।
8. सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का पालन करते हुये वार्षिक वेतन वृद्धि के एक दिन पूर्व होने वाले कर्मचारियों को एक नोशनल इंक्रीमेंण्ट दिया जाये।

रूपम पाण्डेय
स. महामंत्री, यू.एम.आर.के.एस.
संयुक्त जिला मंत्री
भारतीय मज़दूर संघ, प्रयागराज
मो.-9651009999, 9506529999

पत्रांक :

दिनांक :

9. CGEGIS–1980 में परिवर्तन कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाये जिससे कर्मचारी को मिलने वाली बीमा की राशि 30000, 60000 एवं 120000 रू. के स्थान पर न्यूनतम 15 लाख रूपये मिल सके।
10. उत्तर मध्य रेलवे पर दो कारखाने, कई रेलगाड़ियां एवं अतिरिक्त रेल लाइनों का विस्तार हुआ है लेकिन रेल कर्मचारियों की बढोत्तरी नहीं की गयी है अतः बढ़ते रेल संचालन कार्य/उत्पादन के अनुरूप अतिरिक्त पदों का सृजन कर उनको शीघ्र भरने की व्यवस्था करें एवं पूर्व से रिक्त चल रहे पदों को भी भरा जायें।
11. 02 मई 2019 को दोनों यूनियनों का मान्यता का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है उसके बाद वर्ष 2019 में ही मान्यता हेतु चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किये जाने के बावजूद भी दोनों यूनियनों को सभी सुविधायें (कार्यालय, कार्ड पास, विशेष आकस्मिक अवकाश आदि) दी जा रही हैं। अतः चुनाव के लिये सभी को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए इसलिए UMRKS को भी कार्यालय आदि की सुविधा दी जाये।
12. ट्रैकमैन्टेनर कर्मचारियों के लिए एलडीसीई ओपन टू ऑल किया जायें।
13. उत्तर मध्य रेलवे पर चल रहे सभी कोर्ट केसेज (एम.ए.सी.पी., डी.एण्ड ए. आर. आदि) को खत्म करवाया जाये।
14. उत्तर मध्य रेलवे पर अगली वेतन वृद्धि तिथि के विकल्प चुनने हेतु पुनः अवसर दिया जाये जिससे जो कर्मचारी जानकारी के अभाव में छूट गये हैं उन्हें पुनः विकल्प देने का अवसर मिल सके।
15. अन्य कारखानों की तरह उत्तर मध्य रेलवे के कारखानों एवं डीजल/लोको शेडों में कार्यरत सभी **कर्मचारियों को यूनिफॉर्म/यूनिफॉर्म भत्ता उपलब्ध करवाया जाये**।
16. टीटीई कर्मचारियों को रेल राजस्व बढ़ोत्तरी हेतु अनुचित टारगेट देकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाये।
17. दिनांक 01 व 02 जून, 2022 को कारखाना झांसी में उत्पन्न हुये अशांति के वातावरण के कारण कर्मचारियों का 02 दिन का वेतन काट लिया गया है जबकि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/उमरे, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी(आईआर), एवं मुख्य कारखाना इंजीनियर ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल को टारगेट पूरा होने की स्थिति में कोई कटौती नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। कर्मचारियों ने पूरी मेहनत से कार्य किया और 700 के सापेक्ष 703 वैगन का लक्ष्य हासिल किया। अतः काटे गये 02 दिन के वेतन का भुगतान करवाया जाये।

रूपम पाण्डेय
स. महामंत्री, यू.एम.आर.के.एस.
संयुक्त जिला मंत्री
भारतीय मज़दूर संघ, प्रयागराज
मो.-9651009999, 9506529999

पत्रांक :

दिनांक :

18. कारखाना में कार्यरत शंटिंग स्टाफ का वैगन उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद उनको कारखाना के प्रोत्साहन भत्ता में शामिल नहीं किया गया है अतः शंटिंग का कार्य जोखिम भरा होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है अतः **शंटिंग कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता एवं रिस्क एलाउन्स दोनों दिया जाये।**
19. झांसी में स्थित कारखानों में भारतीय रेलवे के अन्य कारखानों की तरह प्रत्येक शनिवार को नियमानुसार आधा अवकाश दिया जाये।
20. भारतीय रेलवे पर बहुत तेजी से डिजिटलाईजेशन का कार्य तेजी से बढ़ रहा है जिसका UMRKS स्वागत करता है परन्तु बढ़ते डिजिटलाईजेशन के कारण साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है इसलिए साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुये रेलवे में साइबर एक्सपर्ट के पदों का सृजन कर उनको शीघ्र भरा जाये।
21. झांसी कारखाना में **रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2000/M(Prod.)/814/76 dated 12-12-2001, 2004/M(W)/814/41 dated 21-05-08, 2010/M(W)/814/3 dated 15-07-2011 को लागू करवाया जाये** जिससे कारखाना के रसायन व धातुकर्म प्रयोगशाला में शॉप फलोर पर कार्यरत कर्मचारियों को इन्सेंटिव बोनस का लाभ मिल सके।
22. उत्तर मध्य रेलवे पर एम्प्लॉईज चार्टर को प्राथमिकता से लागू करवाया जाये एवं प्रत्येक माह सभी केसेां का फीडबैक लिया जाये।
23. उत्तर मध्य रेलवे के सभी मण्डलों पर पुराने रेल आवासों को तुड़वाकर आधुनिक सुविधायुक्त (पार्क, खेल का मैदान, स्वीमिंग पूल, वाचनालय, पुस्तकालय, जिम, पार्किंग आदि) रेलवे कॉलोनी विकसित की जाये जिसमें सुरक्षा की भी व्यवस्था हो।
24. उत्तर मध्य रेलवे पर रोटेशनल स्थानान्तरण की नीति को सख्ती से लागू करवाया जाये।
25. लेवल 06 एवं 07 में भर्ती होने वाले पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के लाभ दिये जाये।
26. उत्तर मध्य रेलवे पर जीएण्डएसआर की संशोधित स्लिप नं. 79 में क्रमांक–5.23/3 को रिव्यू किया जाये ऐसे संशोधनों से लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर की गरिमा को कम किया जा रहा है।
27. रेलवे में ग्रुप डी/फीडर कैडर ट्रैकमैन्टेनर कर्मचारियों को बनाया जाये और उनके 03 से 05 वर्ष हो जाने के बाद अन्य विभागों यांत्रिक, परिचालन, वाणिज्य, विद्युत, चिकित्सा आदि में स्थानान्तरण किया जाये जिससे ट्रैकमेन्टेनर कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके।

रूपम पाण्डेय

स. महामंत्री, यू.एम.आर.के.एस.
संयुक्त जिला मंत्री
भारतीय मज़दूर संघ, प्रयागराज
मो.-9651009999, 9506529999

पत्रांक :

दिनांक :

28. झांसी मण्डल के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों ओरछा, दतिया एवं चित्रकूट धाम में होलीडे होम बनवाये जायें।
29. उत्तर मध्य रेलवे पर ट्रेन मैनेजर के लिये टॉर्च सैल एलाउन्स पुनरीक्षित किया जा चुका है परन्तु लोको पायलट/सहायक लोको पायलट के लिये नहीं। अतः लोको पायलट/सहा.लोको पायलट का टॉर्च सैल अलाउन्स भी पुनरीक्षित करवाया जाये।
30. लोको पायलट/ट्रेन मैनेजर/टीटीई स्टाफ के रनिंग रूम/रेंस्ट हाऊस की कन्डीशन में सुधार किया जाये।
31. उत्तर मध्य रेलवे के सभी मण्डलों पर ऑनड्यूटी जाने वाले कर्मचारियों के लिये सर्व सुविधायुक्त विश्राम गृह बनवाये जायें।
32. आर्टीजन कर्मचारियें को आधुनिक टूल्स/औजार एवं सेफटी आइटम्स उपलब्ध करवाये जायें।
33. रेलवे हॉस्पिटल्स एवं हैल्थ यूनिट को आधुनिक मशीनों/उपकरणों से युक्त बनाया जाये एवं प्रत्येक मण्डल स्तर के चिकित्सालयों में स्पेसलिस्ट डॉक्टर्स को नियुक्त करवाया जाये।
34. रनिंग कर्मचारियों के लाइन बॉक्स हटाने से ब्रेकवान/कैब में स्थायी बॉक्स बनवाने की व्यवस्था की जाये।
35. ट्रेन मनेजर जो प्रारम्भिक वेतन 2800/– में आते हैं एवं 4200/– में रिटार्यड हो जाते हैं। उनको केवल एक प्रमोशन मिलता है। जबकि वह नियुक्ति के समय गुड्स गार्ड/पेसेन्जर गार्ड से सिनियर गुड्स गार्ड/मेल एक्प्रेस गार्ड में प्रमोशन मिलता है। परन्तु उसको केवल दो वेतनमान 2800 एवं 4200 में ही रखा गया है। MACP के तहत हर 10 साल में उसको 1 बार प्रमोशन दिया जाये। जो क्रमशः 2800 में नियुक्ति के बाद 4200, 4600 एवं 4800 में दिया जाना चाहिए।
36. महंगाई भत्ता जनवरी 2024 में 50 प्रतिशत हो गया है जबकि रनिंग भत्ता 25 प्रतिशत अभी तक नहीं किया गया है।
37. DDU न्यू रनिंग रूम में केवल सब्सीडाईज फूड की व्यवस्था की गई है। जबकि रनिंग स्टाफ का दिया हुआ राशन नहीं बनाया जाता है। जिससे स्वास्थय संबंधी समस्यायें बढ़ रही है।
38. DDU RR 555 में अलग से योग कक्ष की व्यवस्था कराई जाये और उसमें फूड मसाजर एवं अन्य उपयोगी उपकरण लगाये जायें।

रूपम पाण्डेय

स. महामंत्री, यू.एम.आर.के.एस.
संयुक्त जिला मंत्री
भारतीय मज़दूर संघ, प्रयागराज
मो.-9651009999, 9506529999

पत्रांक :

दिनांक :

अतः महोदया जी से अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी सुझावों एवं मांगों को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए शीघ्र निराकरण करवाने का कष्ट करें।

आभार सहित।

भवदीय

आर पाण्डेय

(रूपम पांडेय)

प्रति– 1. श्रीमान महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज, प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक, प्रयागराज/झांसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. श्रीमान मुख्य कारखाना प्रबन्धक, कारखाना झांसी को सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. श्रीमान अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।